न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 1/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

1. डूंगर पिता हांजा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. नरसी पिता भूरा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. धना पिता भूरा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. हकसी पिता डूंगर मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
5. हूरमा पिता काला मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
6. शंकर पिता धूरा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
7. बालकृष्ण पिता हुरमा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
8. प्रभु पिता रामा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
9. नगीन पिता रामा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)
2. उपवन संरक्षक अधिकारी, कार्यालय वन विभाग, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी डाकनमारिया, राणीझुला नाका, ब्लॉक संख्या 4 (अ), कार्यालय गैंजी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 2/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

1. हांजा पिता रूपा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. गटु पिता थाना मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. लक्ष्मण पिता थाना मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. नाना पिता थाना मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
5. बाबू पिता हांजा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
6. शंकर पिता धूरा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
7. हुरमा पिता रामा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)
2. उपवन संरक्षक अधिकारी, कार्यालय वन विभाग, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी डाकनमारिया, राणीझुला नाका, ब्लॉक संख्या 4 (अ), कार्यालय गैंजी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

(3) प्रकरण संख्या 3/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

1. हरजी पिता पांचा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. शंकर पिता रामा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. जीवा पिता केवला मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. रतना पिता पांचा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
5. धनपाल पिता नाना मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
6. रमेश पिता नरसी मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
7. मोहन पिता लक्ष्मण मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
8. अशोक पिता धुला मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
9. कन्हैया पिता जीवा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)
2. उपवन संरक्षक अधिकारी, कार्यालय वन विभाग, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी डाकनमारिया, राणीझुला नाका, ब्लॉक संख्या 4 (अ), कार्यालय गैंजी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

(4) प्रकरण संख्या 4/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

1. देवा पिता भेमजी मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. कावा पिता भेमजी मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. लालू पिता भेमजी मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. बसू पिता भेमजी मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
5. लक्ष्मण पिता सोमा मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
6. कमलाशंकर पिता देवा मीणा, नि0 ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
7. अमरा पिता लक्ष्मण मीणा, निवासी ग्राम झुडा, तहसील व जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)
2. उपवन संरक्षक अधिकारी, कार्यालय वन विभाग, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी डाकनमारिया, राणीझुला नाका, ब्लॉक संख्या 4 (अ), कार्यालय गैंजी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 04–06–2016 प्र॰ सं॰ क्रमशः
111/11, 108/11, 109/11, 103/11

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री एल. एस. बियोला अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 व 3
3– श्री भंवरलाल पण्डया अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 व 4

———::———

निर्णय **दिनांक 22–11–2017**

उपरोक्त चारों प्रकरणों में अपीलान्ट पृथक हैं, जबकि रेस्पोन्डेन्टगण एक ही हैं तथा प्रकरण में प्रमुखता इन चारों अपीलों मे वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 88, 209 व 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम झूडा तहसील डूंगरपुर की वन विभाग की भूमियों पर उनका 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त होने के आधार नियमन के अधिकारी होने से खातेदार घोषित किये जाने तथा उन्हें बेदखल नहीं किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की।

प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 3 सरकार की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार चारों प्रकरणों में समान 6 तनकियात कायम की :–

1. वाद वर्णित भूमि वन विभाग की रखत जंगल को वादी कब्जे के अनुसार खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने का अधिकारी है ? ..... वादी
2. आया वादग्रस्त भूमि वाद में स्पेशिफिक नहीं है, न ही वाद में स्पष्ट किया गया है कि किस खसरा नंबर की भूमि पर वादीगण का कब्जा है ? ..... प्रतिवादीगण

3. वादग्रस्त भूमि ''रिजर्व भूमि जंगल'' चरागाह अंकित होने से वाद वादी खारिज किया जावे ? ..... प्रतिवादीगण

4. आया वादीगण का वाद धारा 80 जा.दी. के प्रावधानों के तहत नोटिस नहीं दिये जाने के कारण नोटिस के अभाव में वाद खारिज होने योग्य है ? ..... प्रतिवादीगण

5. आया वाद अवधि, वादकरण, क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार संबंधी विशिष्ठ कथन के अभाव में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों के तहत वाद खारिज होने योग्य है ? ..... प्रतिवादीगण

6. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त चारों प्रकरणों में दिनांक 04–06–2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

''पत्रावली के अवलोकन एवं रिकार्ड से जानकारी प्राप्त की। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड मुताबिक रिजर्व जंगल भूमि/चरागाह है। वादीगण ने विवादित जमीन में अपने कब्जे का कोई स्पष्टीकरण सीमा, खसरा एवं खाता नंबर के साथ ही किस्म भूमि क्षेत्रफल, नक्शा आदि वाद के साथ प्रस्तुत नहीं करते हुए अनिश्चित तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है। वाद में कोई स्पेसिफिक प्लीडिंग्स अंकित नहीं है। भूमि वन विभाग की है अथवा राजस्व विभाग की यह भी वाद से कहीं पर भी स्पष्ट नहीं होता है। वादी ने वाद पत्र की पैरा अ में भी वादग्रस्त भूमि एवं चाही गई डिकरी को स्पेस्फिाई नहीं किया है, जिससे वाद खारिज योग्य ठहरता है। अतः वादीगण का वाद इसी स्तर पर क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकारी से परे होना माना जाकर खारिज किया जाता है।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 04–06–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में अलग–अलग यह चारों अपीलें दिनांक 23–01–2017 को प्रस्तुत की गयी हैं।

उपरोक्त चारों अपीलों में अपीलान्ट/वादीगण पृथक हैं, जबकि शेष पक्षकारान एवं विषय वस्तु तथा अपील हेतुक समान है। अतएवं हम उक्त चारों प्रकरणों का निर्णय एक साथ करना उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई में था तथा पत्रावली साक्ष्य विपक्षी हेतु नियत थी। अपीलान्ट गरीब अनपढ़ आदिवासी काश्तकार हैं। दौराने वाद सुनवाई साक्ष्य प्रतिवादी पक्ष के ही राजस्थान सरकार का ''राजस्व लोक अदालत'' का अभियान ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजन हुआ, जिसकी कोई जानकारी वादीगण को नहीं दी गयी तथा वादीगण की अनुपस्थिति में वाद खारिज कर दिया। अपीलान्ट/वादीगण विश्वास कर वन विभाग के कार्यालयों में जाते रहे तथा अधिकारीगण द्वारा वनाधिकार पट्टे देने का आश्वासन दिया जाता रहा, किन्तु अब धमकियां देते हैं तथा कहते हैं कि तुम्हारा प्रकरण खारिज हो चुका है। उपरोक्त कारणवश अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 4 की ओर से वकील श्री भंवरलाल पण्डया उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम धारा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर निर्णय करना हम उचित समझते हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट/वादीगण की उपस्थिति अंकित करते हुए दिनांक 04–06–2016 को निर्णय पारित किया है, जिसकी अपील की मयाद 03–08–2016 होती है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा करीब 4 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह कहीं नहीं वर्णित किया गया है कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी कब और किस प्रकार से हुई। मयाद कण्डोन किये जाने के लिए अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई आधार व्यक्त नहीं किया गया है। अतएवं अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, गुणावगुण पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा दावे अनुसार ही उजर लिये तथा कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पुराने कब्जे पर कोई गौर नहीं किया एवं उन्हें बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है।

प्रकरण हालांकि बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है, फिर भी गुणावगुण पर निर्णय करना हम उचित समझते हैं। अपीलान्ट स्वयं यह

स्वीकार करते हैं कि भूमियां वन विभाग की हैं। जब भूमियां वन विभाग की है तथा वन विभाग द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर नियमों के अन्तर्गत आदिवासी लोगों को पट्टे दिये जाने के प्रावधान हैं तो इन नियमों के अन्तर्गत ही अपीलान्ट/वादीगण को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। राजस्व न्यायालय से वन विभाग की भूमि होने से वन संरक्षण अधिनियम के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति के अधिकार सृजित नहीं हो सकने के आज्ञापक प्रावधान होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की प्लीडिंग्स/साक्ष्य का विवेचन करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय में प्रतिवादी की साक्ष्य का विवेचन नहीं किया गया है जिससे वादी के वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध कराना होता है। यदि उसकी समस्त साक्ष्यों को पढ़ा भी जाये तो भी अपीलान्ट वन विभाग की भूमियों पर पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहता है, जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निषिद्ध है। द्वितीय इस प्रकरण में प्रकिया न्याय से उपर नहीं हो सकती। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलान्ट/वादीगण की प्लीडिंग्स एवं साक्ष्यों का समावेश हो जाने के कारण अपीलान्ट/वादीगण को प्राकृतिक न्याय से वंचित नहीं माना जा सकता। तद्नुसार गुणावगुण पर भी अपील पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपील बेरून मयाद है तथा गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स एवं साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं उक्त चारों अपीले बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04–06–2016 यथावत रखे जाते हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** .....

डूंगर पिता हांजा मीणा, नि॰ ग्राम झुडा बनाम **जिला कलक्टर, डूंगरपुर व अन्य तहसील एवं जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं॰.....**01 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....04**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री एल.एस. बियोला**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री भंवरलाल पण्ड्या**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–06–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

हांजा पिता रूपा मीणा, नि. ग्राम झुडा बनाम **जिला कलक्टर, डूंगरपुर व अन्य तहसील एवं जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**02 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....04**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री एल.एस. बियोला**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री भंवरलाल पण्ड्या**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–06–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** .....

हरजी पिता पांचा मीणा, नि॰ ग्राम झुडा बनाम **जिला कलक्टर, डूंगरपुर व अन्य तहसील एवं जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं॰.....**03 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....04**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री एल.एस. बियोला**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री भंवरलाल पण्ड्या**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–06–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** .....

देवा पिता भेमजी मीणा, नि॰ ग्राम झुडा बनाम **जिला कलक्टर, डूंगरपुर व अन्य तहसील एवं जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं॰.....**04 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....04**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री एल.एस. बियोला**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री भंवरलाल पण्ड्या**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–06–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।